संख्या-124/2026/559/69-1-2026-1771129

प्रेषक,

लाल मणि यादव,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उ0प्र0, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग। **लखनऊ : दिनांक : 16 मार्च, 2026**

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में ''मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित एवं मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत' अनुदान संख्या-83 से जनपदलसम्भ-, बदायूं, शामली, एटा, कन्नौज एवं कन्नौज की 28 परियोजनाओं के अवशेष कार्यों को पूर्ण करने हेतु द्वितीय/अंतिम किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-4821 व 4893/16/10/छ:/विविध/(द्वितीय किश्त)/2020- 21 दिनांक 11.02.2025 व 13.02.2026, पत्र संख्या-4901 /73/10/छ:/विविध/(द्वितीय किश्त)/2020-21 दिनांक 13.02.2025, पत्र संख्या-4898/10/छ:/विविध/(द्वितीय किश्त)/2020-21 वाल्यूम-2 दिनांक 13.02.2025 व पत्र संख्या-5189 व 5190/10/छ:/विविध/(द्वितीय किश्त)/2025-26 दिनांक 26.02.2025 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **''मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित एवं मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत'** निम्न तालिका के अनुसार प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त की गयी:-

क्र	जनपद का नाम	वित्तीय वर्ष	शासनादेश सं0	परि0 की सं0	प्रशासकीय स्वीकृति	प्रथम किश्त की निर्गत धनराशि
1	सम्भल	2023-24	28/2024/136/69-1-2024-1771129 दिनांक 01.02.2024	104	1428.850	714.425
2	बदायूं	2023-24	247/2023/1812/69-1-2023-1765837 दिनांक 02.12.2023	44	1331.20	665.60
3	शामली	2024-25	153/2025/595/69-1-2025-1907706 दिनांक 20.03.2025	43	1988.30	994.15
4	एटा	2024-25	156/2025/627/69-1-2025-1909281 दिनांक 21.03.2025	46	1166.02	583.01
5	कन्नौज	2024-25	194/2025/747/69-1-2025-1912844 दिनांक 31.03.2025	95	1753.49	1315.1175
6	कन्नौज	2022-23	250/2023/1842/69-1-2023-1767593 दिनांक 12.12.2023	127	1897.48	948.74

उक्त जनपदों में से जनपद- सम्भल, बदायूं, शामली, एटा, कन्नौज एवं कन्नौज की **28** परियोजनाओं के अवशेष कार्यों को पूर्ण करने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-83 में

http://shasanadesh.up.gov.in

प्राविधानित बजट की धनराशि से निम्नलिखित तालिका के कालम-8 में अंकित द्वितीय/अंतिम किश्त के धनराशि **रू. 233.655 लाख (रूपये दो करोड़ तैंतीस लाख पैंसठ हजार पांच सौ मात्र)** की निम्नलिखित शर्तों /प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र. सं.	जनपद का नाम	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम/ कार्य का विवरण।	परियोजना की कुल लागत	सेन्टेज सहित निविदा की धनराशि	प्रथम किश्त की निर्गत धनराशि	द्वितीय/ अंतिम किश्त के रूप में स्वीकृत की जाने वाली धनराशि। (6-7)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	सम्भल	न0पा0प0 सम्भल	वार्ड संख्या-02 में रेलवे स्टेशन मस्जिद से कुम्हारों वाले मन्दिर तक इंटरलाकिंग टाईल्स व नाली निर्माण कार्य।	25.76	25.53	12.880	12.6500
2	सम्भल	न0पा0प0 सम्भल	वार्ड संख्या-04 दुर्गा कालोनी में विजेन्द्र लाला की दुकान से प्रवेश शर्मा के मकान तक, अमृत विहार कालोनी में शंभू प्रसाद के मकान से देवेन्द्र के मकान तक एवं ओमकार सिंह के मकान से विमला के मकान तक इंटरलाकिंग टाईल्स व नाली निर्माण कार्य।	20.82	20.45	10.410	10.040
3	सम्भल	न0पा0प0 सिरसी	वार्ड संख्या-05, मोहल्ला सराय सादक नागों की सराय में श्री इकराम के मकान से तस्लीम के मकान तक इंटरलाकिंग टाईल्स व नाली निर्माण कार्य।	4.60	4.36	2.300	2.060
4	सम्भल	न0पा0प0	वार्ड संख्या-06 में	20.11	19.50	10.055	9.4450

http://shasandesh.up.gov.in

		बहजोई	शौचालय से प्राईमरी पाठशाला तक इंटरलाकिंग टाईल्स व नाली निर्माण कार्य।				
5	सम्भल	न0पा0प0 बहजोई	वार्ड संख्या-18 में गायत्री धर्मकांटा से प्रियंका सक्सेना के मकान तक इंटरलाकिंग टाईल्स व नाली निर्माण कार्य।	13.12	12.19	6.560	5.6300
6	सम्भल	न0पा0प0 बहजोई	वार्ड संख्या-18 में राजकुमार के मकान से राजू यादव के मकान तक इंटरलाकिंग टाइल्स व नाली निर्माण कार्य।	21.38	21.31	10.690	10.620
7	सम्भल	न0पा0प0 बहजोई	वार्ड संख्या-18 में डा . महबूब अली के जर्रा के .मकान से डा मकान तक इंटरलाकिंग टाईल्स व नाली निर्माण कार्य।	26.31	26.16	13.155	13.005
8	सम्भल	न0पं0 गवां	वार्ड सं0 07 मास्टर कालोनी में मुकेश दुग्गल के मकान से विचारा के मकान तक इण्टरलाकिंग टाईल्स व नाली निर्माण कार्य।	12.91	12.27	6.455	5.8150
9	सम्भल	न0पं0 बबराला	वार्ड सं0 02 रामवीर के मकान से लोक निर्माण विभाग के रोड तक इण्टरलाकिंग टाईल्स व नाली निर्माण कार्य।	25.01	24.97	12.505	12.4650
			योग	**170.02**	**166.74**	**85.01**	**81.73**
10	बदायूं	न0पा0प0 बदायूं	वार्ड नं 03 में जिलाधिकारी आवास के पीछे बालमीकि बस्ती में पीपल वाले मंदिर वाली गली में सीसी सड़क व नाली निर्माण कार्य।	7.99	7.87	3.9950	3.875
11	बदायूं	न0पं0 उसहैत	वार्ड नं 04 में दामोदर बाल्मीकि के मकान	15.53	14.80	7.7650	7.035

http://shasanadesh.up.govc.in

			से शेर नवी के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।				
12	बदायूं	न0पं0 मुडिया	रामेश्वर डीलर के मकान से यादराम के घर (अम्बेडकर नगर पार्क के बराबर से) होते हुए रामप्रकाश के घर तक सीसी सड़क व नाली निर्माण कार्य।	9.68	9.53	4.8400	4.690
			योग	**33.20**	**32.20**	**16.60**	**15.60**
13	शामली	न0पं0 बनत	वार्ड नं0 04 मौ0 रैदासपुरी जलालपुर रोड से शिव मंदिर तक सीसी सड़क व नाली निर्माण।	32.76	32.260	16.380	15.880
14	शामली	न0पं0 झिंझान	मो0 तलाही वार्ड नं0 04 पाल्लू के मकान से नाले तक सीसी इण्टरलाकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण।	60.16	59.250	30.080	29.170
15	शामली	न0पं0 झिंझान	मो0 तलाही वार्ड नं0 04 तैयब के मकान से इस्लाम तक सीसी इण्टरलाकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण।	40.33	39.700	20.165	19.535
			योग	**133.25**	**131.210**	**66.625**	**64.585**
16	एटा	न0पा0प0 एटा	मोहल्ला पीपल अड्डा, उपकार नगर में यशपाल सिंह के मकान से रमेश के मकान होते हुए राधा चरन, हाकिम सिंह, मुन्नी देवी आदि के मकान तक इण्टरलॉकिंग एवं एवं नाली निर्माण का कार्य।	14.37	12.56	7.185	5.375
17	एटा	न0पा0प0 एटा	मोहल्ला पीपल अड्डा में इन्द्रपाल के	26.98	21.72	13.490	8.230

http://shasanadesh.up.gov.in

			घर से राधेश्याम एवं श्याम के घर से पवन ड्राईवर के घर तक एवं मनोज क प्लाट से प्रमोद आदि के मकान तक इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण का कार्य।				
18	एटा	न0पा0प0 एटा	मोहल्ला पीपल अड्डा में गोपाल के घर से सन्तगाडगे पार्क तक एवं ज्ञान के घर से फौजी के घर तक एवं लाला से भगवान सिंह वाली आदि में इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण का कार्य।	21.64	17.45	10.820	6.630
19	एटा	न0पा0प0 जलेसर	मोहल्ला खेड़ा में प्रेम बाबा वाले घर से कुलदीप के प्लाट तक इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण का कार्य।	8.34	8.31	4.170	4.140
20	एटा	न0पा0प0 मारहरा	मोहल्ला काथगंज में सुनील के घर से राजवीर के घर तक, विजय सिंह के घर से प्राथमिक विद्यालय तक, रमेश के प्लाट से समीम के घर तक, यादराम के घर से सत्यवीर के घर तक, रमेश बाल्मीकि के घर से अशोक के घर तक, माधौ सिंह के घर से होते हुए दिनेश के प्लाट तक एवं विकम के घर से महावीर के घर से होते हुए बिरजी लाल आदि के घर तक इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण का कार्य।	45.47	44.86	22.735	22.125

htttp//shasanadesh.up.govc.in

21	एटा	न0पा0प0 एटा	मोहल्ला पीपी अड्डा लोधीपुरम में राहुल के प्लॉट से विपिन आदि के मकान तक इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण का कार्य।	19.69	17.10	9.845	7.255
			योग	**136.49**	**122.000**	**68.245**	**53.755**
22	कन्नौज	न0पं0 तिर्वागंज	मोहल्ला बौद्ध नगर में सूरज गिहार के मकान से ठाकुर के तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण।	8.32	8.310	4.160	4.150
23	कन्नौज	न0पा0प0 छिबरामऊ	वाड्र नं 02 के मोहल्ला बहवलपुर में मलखान के मकान से प्रदीप नागर के मकान तक इण्टरलाकिंग सडक व नाली निर्माण।	4.23	4.220	2.115	2.105
			योग	**12.55**	**12.53**	**6.275**	**6.255**
24	कन्नौज	न0पं0 तिर्वागंज	वार्ड नं 11 के मोहल्ला बौद्धनगर में सुधीर के मकान से भदौरिया के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	6.36	6.3500	4.7700	1.5800
25	कन्नौज	न0पं0 तिर्वागंज	वार्ड नं 11 के मोहल्ला बौद्धनगर में इरसाद के मकान से वीरेन्द्र के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	10.34	10.3300	7.7550	2.5750
26	कन्नौज	न0पं0 तिर्वागंज	वार्ड नं 11 के मोहल्ला बौद्धनगर में सलीम के मकान से परवीन के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	7.04	7.0300	5.2800	1.7500
27	कन्नौज	न0पं0 तिर्वागंज	वार्ड नं 11 के मोहल्ला बौद्धनगर में	15.85	15.8400	11.8875	3.9525

http://shasanadesh.up.gov.in

			वर्मा फौजी के मकान से अनिल कुमार फौजी के मकान तक व महेन्द्र पाल सिंह के मकान से राघवेन्द्र के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।				
28	कन्नौज	न0पं0 तिर्वागंज	वार्ड नं 02 के मोहल्ला गांधीनगर में दिलीप कुमार के घर से राम सरन के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	7.57	7.5500	5.6775	1.8725
			योग	**47.16**	**47.1000**	**35.3700**	**11.7300**
			कुल योग	**532.67**	**511.78**	**278.125**	**233.655**

(रूपये दो करोड़ तैंतीस लाख पैंसठ हजार पांच सौ मात्र)

1. उक्त धनराशि प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश विषयक शासनादेश संख्या-117/2017/69-1-17-14(31)2012टीसी, दिनांक 26 अक्टूबर, 2017 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवरूथा का पूर्णरूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
2. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियॉ, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमश: इस प्रकार प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।
4. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

6. योजनान्तर्गत कराये जाने वाले समस्त कार्यों का विवरण, उनकी लागत, कार्य पूर्ण होने की अवधि, कार्यदायी संस्था व उससे संबंधित अभियन्ता एवं परियोजना अधिकारी का नाम व फोन नम्बर कार्य स्थल पर नोटिस बोर्ड लगाकर सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त सभी विवरण एवं योजना का आगणन डूडा की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जायेगा।

7. सूडा/डूडा द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि को एच0डी0एफ0सी0 बैंक/शिड्यूल बैंक में ही रखा जायेगा और स्वीकृत धनराशि पर अर्जित ब्याज की धनराशि को राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

8. उक्त प्रायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित डूडा का होगा।

09. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

10. उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व सूडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजनाओं के आगणनों का गठन वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप है तथा उसमें कार्य विशेष की लागत सीमा को कम करने के उद्देश्य से अथवा प्रायोजना के स्कोप को कम करके अथवा प्राविधानों को कम करके लागत आंकलित नहीं की गई है।

11. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित डूडा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरूपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सूचित किया जायेगा।

12. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा/डूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

13. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा अपर मुख्य सचिव, सचिव अथवा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।

14. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।

15. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो, तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।

16. सेन्टेज चार्जेज (अधिष्ठान व्यय) की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के क्रम में सुसंगत लेखा शीर्ष में जमा किया जायेगा।

17. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी 31 जितनी , 2026 ,मार्च तक व्यय हो सके।

18. कार्यदायी संस्थाओं द्वारा शासकीय धन को एच0डी0एफ0सी0 बैंक/शिड्यूल बैंक में ही रखा जायेगा और यदि शासकीय धन पर कोई ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।

19. **प्रश्नगत परियोजनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित परियोजना निदेशक एवं परियोजना अधिकारी, डूडा का होगा।**

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-083 लेखाशीर्षक 2217047890500 **मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती चालू विकास योजना मानक मद 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान** के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त-अनुभाग (व्ययक-आय)1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(लाल मणि यादव)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0,20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्री, नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।
4. प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, **सम्भल, बदायूं, शामली, एटा, कन्नौज एवं कन्नौज**।
6. नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
7. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उ0प्र0 शासन।
8. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।
10. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइड पर अपलोड कराने हेतु।
11. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

(लाल मणि यादव)
उप सचिव।

htttp//shasanadesh.up.govc.in